संख्या-23/2016/528 ई-1/तेरह-2016-499(31)/98ए

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 31 मई, 2016

विषय :- वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद को आस्थगित करते हुए संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक- 1084/पी0एस0/आ0आ0, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-925 ई-1/तेरह-99-499(31)/98(ए) टी0सी0 दिनांक 26 मई, 1999 द्वारा सांख्यिकी अधिकारी के पद को आस्थगित रखकर उसके स्थान पर सृजित किये गये वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के पद को आस्थगित करते हुए संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी का एक अस्थायी पद (वेतन बैण्ड रू0 15600 – 39100 एवं ग्रेड पे रू0 7600/-) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अथवा इस आदेश के जारी होने की तिथि से, जो भी बाद में हो, दिनांक 28-02-2017 तक के लिये यदि इसके पूर्व ही उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त पद के धारक को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश के अधीन वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- उक्त नवसृजित पद के पदधारक के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त संयुक्त निदेशक, सांख्यिकी का पद स्वत: समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर सांख्यिकी अधिकारी का मूल पद पुनर्जीवित करा लिया जाएगा।

4- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-1 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2039-राज्य उत्पाद शुल्क-आयोजनेत्तर-001 निदेश तथा प्रशासन-03-अधीक्षण की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जाएगा तथा अनुदान की बचतों से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-9-196/दस-2016 दिनांक 31 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय,
उपसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या– 23/2016/528 (1) ई-1/तेरह-2016 तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) **महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
(2) **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.**
(3) **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 (तीन प्रतियों में)**
(4) **वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2.**
(5) **सम्बन्धित अधिकारी।**
(6) **सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में सुरक्षित रखने हेतु।**
(7) **विभागीय आदेश पुस्तिका।**

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।